मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1167

27.07.2026 को उत्तर के लिए

नगर वन योजना

1167. श्री लालजी वर्मा :
श्री नीरज मौर्य :
सुश्री इकरा चौधरी :
श्री हरेन्द्र सिंह मलिक :
श्री देवेश शाक्य :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश में स्वीकृत नगर वनों (शहरी वन) में वृक्षारोपण के आंकड़ों और जमीन पर जीवित बचे पेड़ों की वास्तविक संख्या के बीच कोई बड़ी विसंगति है और क्या इस संबंध में विशेषकर उत्तर प्रदेश के एटा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में पौधों के जीवित रहने की दर की कोई स्वतंत्र संपरीक्षा करायी जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय स्तर पर प्रति नगर वन आवंटित 22 करोड़ रुपये की निधि का एक बड़ा हिस्सा केवल कंक्रीट निर्माण (बेंच, गेट और ट्रैक) पर खर्च किया जा रहा है जो कि इस योजना के मूल वनीकरण उद्देश्य के विपरीत है;

(घ) उत्तर प्रदेश में स्वीकृत और अनुमोदित नगर वनों की संख्या तथा घटक-वार किए गए व्यय सहित आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहरों में, विशेषकर एटा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, नगर वन समितियों (अर्बन फॉरेस्ट कमिटीज) का गठन निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया है; और

(च) क्या सरकार का विचार ऐसे नगर वनों की सूची प्रकाशित करने का है जहां सिंचाई के लिए सौर पंप या वर्षा जल संचयन जैसी सतत सुविधाएं अभी तक चालू नहीं हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च): उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 तक नगर वन/नगर वाटिका के 30 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 13 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। 33.257 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है तथा राज्य सरकार द्वारा 24.532 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी गई है। इस राशि का

उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृत मदों पर किया गया है, जिनमें वृक्षारोपण, पौधों का रखरखाव, सुरक्षा उपाय (जैसे बाड़बंदी), मृदा एवं नमी संरक्षण का कार्य, सिंचाई की सुविधाएँ, पैदल पथ, बैठने के लिए बेंच, प्रवेश द्वार, सूचना पट्ट तथा आगंतुकों के लिए अन्य सुविधाएँ शामिल हैं। इन कार्यों का उद्देश्य आम जनता की पहुँच को सुगम बनाना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा शहरी वनों के सृजन और संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नगर वन / नगर वन वाटिका परियोजनाओं की नियमित निगरानी स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसरण में की जाती है, जो पौधों की उत्तरजीविता दर का पृथक एकल ऑडिट उपलब्ध नहीं कराती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण और सृजित सुविधाओं का नियमित रखरखाव किया जाता है। इसमें अनुमोदित योजना के अनुसार वृक्षारोपण को बनाए रखने के लिए सिंचाई, संरक्षण और आवश्यकतानुसार क्षतिग्रस्त हुए पौधों को बदलने जैसे नियमित रखरखाव उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, एटा जिले में कोई नगर वन / नगर वाटिका न तो बनाई गई है और न ही प्रस्तावित है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार नगर वन समितियों/शहरी वन समितियों का गठन संबंधित राज्य सरकारों अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों की जिम्मेदारी है, योजना में आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त सिंचाई तथा जल संरक्षण अवसंरचना के विकास का भी प्रावधान है, जिसमें सौर ऊर्जा चालित जल पंप तथा वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना करना शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि अधिकांश नगर वनों/नगर वाटिकाओं में सौर ऊर्जा चालित जल पंप स्थापित किए जा चुके हैं तथा वर्षा जल संचयन से संबंधित कार्य भी किए गए हैं। राज्य सरकार से उन परियोजनाओं की पृथक सूची प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, जहाँ ये सुविधाएँ अभी तक कार्यशील नहीं हुई हैं। इसी प्रकार, केंद्र सरकार के स्तर पर भी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
